न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–125 / 2020 दायर दिनांकः 05.08.2020

CMS NO:- 2020/00247

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बजरंगा पुत्र बद्री जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. मोती शंकर पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. शंकर पुत्र माधो जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. महावीर पुत्र माधो जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. मथरा पुत्री माधो हाल पत्नि किशन जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. शोभाग बाई पुत्री माधो हाल पत्नि रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम डोकुन तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. राधाकिशन पुत्र सांवला जाति धाकड निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. मंदिर श्री देवजी स्थान जरखोदा खातेदार नाबालिग जर्ये संरक्षक पुजारी गिर्राज पुत्र रामबिलास जाति गुर्जर निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. रामकिशन पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
8. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा जरखोदा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
9. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, एस बी आई, शाखा देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
10. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, आई सी आई सी आई, शाखा देई तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
11. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 150 के खसरा संख्या 499 / 08–18, 500 / 08–02, 506 / 09–03 बीघा तथा खसरा संख्या 507 / 09–08 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने का रास्ता ग्राम फतेहगंज से जरखोदा जाने वाला गै0मु0 आम रास्ता है, से होकर खसरा संख्या 504 व 503 के मध्य होकर व खसरा संख्या 505 व खसरा संख्या 502 के मध्य होकर मेरे मेर पर होकर निकल रहा था। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से [illegible] कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध [illegible] रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक [illegible] के खाते की जमीन पर आने रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि ...लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा ...कराने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल ...नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। प्रार्थीगणों परिशिष्ट अ अनुसार चाहा गया रास्ता बहुत अधिक लम्बा व खर्चीला है इसके स्थान पर फतेहगंज से जरखोदा जाने वाले आम रास्ते से दिया जाना उचित होगा। खसरा संख्या 499, 500, 506, 507 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 485 व 484 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 485 में से रकबा 12 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 24 वर्ग गठ्ठा= रकबा 1185 वर्ग फीट तथा खसरा संख्या 484 में से रकबा 70 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा= रकबा 6915 वर्ग फीट अर्थात् कुल रकबा 0.07525 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि चयनित प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डोटेड लाइन द्वारा दर्शाया गया है।

प्रत्यार्थीगणों ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा संख्या 499, 500, 506, 507 में आने जाने हेतु पूर्व से ही फतेहगंज से जरखोदा जाने वाले आम रोड से होकर खसरा संख्या 484 व 485 की मेड से होकर वर्तमान में चालू रास्ता उपलब्ध है। प्रत्यार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 504 व 503 के मध्य होकर व खसरा संख्या 505 व खसरा संख्या 502 के मध्य होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब दावा एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट जरखोदा में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की खाता संख्या 150 के खसरा संख्या 499/08–18, 500/08–02, 506/09–03 बीघा तथा खसरा संख्या 507/09–08 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 485 में से रकबा 12 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 24 वर्ग गठ्ठा= रकबा 1185 वर्ग फीट तथा खसरा संख्या 484 में से रकबा 70 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा= रकबा 6915 वर्ग फीट अर्थात् कुल रकबा 0.07525 है0 भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है जिसे परिशिष्ट "क" में चयनित प्रस्तावित रास्ता द्वारा नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को ... लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner